ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 647 / 12-1(2) दिनांक 09 / 9 / 2020::

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम
रूद्रप्रयाग।

विषयः– **अगस्त्यमुनि नगर पंचायत पेयजल योजना (1.53 है0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्न कमियां पायी गई।

(1) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–6 डिजिटल / टोपोशीट मानचित्र सही क्रम में चस्पा करें तथा अन्य सभी प्रपत्रों को भी चैक लिस्ट के अनुसार सही क्रम में संलग्न करें।

(2) परियोजना का वैकल्पिक संरेखण व चुने गये संरेखण का तुलनात्मक विवरण एवं मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

(3) प्रस्तावित परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क से दूरी / वन्य जीव अभ्यारण से दूरी 10.00 किमी. से कम है। अतः प्रपत्र–20 के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

(4) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–26 के अनुसार परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या तथा प्रपत्र–27 के अनुसार अनुपालन करने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

(5) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–33 लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या का प्रमाण पत्र नहीं भरा गया है।

(6) प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र प्रपत्र–32 प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

(7) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–34 वन भूमि के मूल्य / वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र नहीं भरा गया है।

(8) प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.00 है0 से अधिक है, जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वन भूमि अर्थात् 1.53 ha. X 2 = 3.06 ha. सिविल सोयम वन भूमि का राजस्व विभाग से चयन करवाकर, चयनित भूमि का डिजिटल / टोपोशीट मानचित्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

(9) प्रस्तावित परियोजना हेतु एन0पी0 की धनराशि में वृद्धि होने पर वन विभाग को भुगतान करने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

उपरोक्त कमियों को पूर्ण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। आप द्वारा प्रेषित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 02 प्रतियां मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

<u>संलग्न :– उपरोक्तानुसार। (प्रस्ताव की 02 प्रतियां)</u>

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 647 / दिनांकित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।